

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर।
प्राचार्य,
ए0एन0एम0 स्कूल, इस्लामपुर,
नालन्दा।

पटना, दिनांक-7/01/2019

विषय:- प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किराया महसूल कर, संविदा सेवार्यें तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु0 1,28,08,000/- (रुपये एक करोड़ अठ्ठाईस लाख आठ हजार) तथा आय-व्ययक से छात्रवृत्ति/वजीफा मद में प्राप्त उपबंध रु0 31,50,000/- (रुपये एकतीस लाख पचास हजार) अर्थात् कुल रु0 1,59,58,000/- (रुपये एक करोड़ उन्सठ लाख अन्ठावन हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत प्रशिक्षण नर्स को विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किराया महसूल कर, संविदा सेवार्यें तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु0 1,28,08,000/- (रुपये एक करोड़ अठ्ठाईस लाख आठ हजार) तथा आय-व्ययक से छात्रवृत्ति/वजीफा मद में प्राप्त उपबंध रु0 31,50,000/- (रुपये एकतीस लाख पचास हजार) अर्थात् कुल रु0 1,59,58,000/- (रुपये एक करोड़ उन्सठ लाख अन्ठावन हजार) मात्र का संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2) दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प संख्या-2190/वि०(2), दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक तथा प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(Q)

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

4/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प्र0नर्स-02/2018-300050 /स्वा0, पटना, दिनांक- 7 / 01 /2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ग्रेड 'ए' नर्सिंग स्कूल एवं गैर जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित जी०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल का वित्तीय वर्ष 2018-19 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी, विपत्र कोड-20-2210051050012

प्राथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	एन०एम० सी०एच० पटना को वर्तमान आवंटन	एस०के०एम० सी०एच०, मुजफ्फरपुर को वर्तमान आवंटन	जे०एल० एन०एम० सी०एच०, भागलपुर को वर्तमान आवंटन	ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर को वर्तमान आवंटन	वर्तमान कुल आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0012.14.01 किराया महसूल एवं कर	300000	51000	351000	294000	0	0	0	51000	51000	345000	6000
0012.28.02 सविदा सेवार्य	2000000	7985000	27985000	20000000	4650000	0	1835000	1500000	7985000	27985000	0
0012.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	4000000	4772000	44772000	34566000	2566000	3150000	2206000	0	7922000	42488000	2284000
कुल योग -	60300000	12808000	73108000	54860000	7216000	3150000	4041000	1551000	15958000	70818000	22900000

(रुपये एक करोड़ उन्सठ लाख अन्दावन हजार)

86(1)ब/0
7-01-19

सरकार के विशेष सचिव